

प्रपत्र-1-नियम 8 (1)
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

प्रार्थी का
पासपोर्ट
साईज
फोटोग्राफ

**इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/
 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन/विकलांगता राहत भत्ता/
 विधवा परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन/कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता के लिये
 प्रार्थना-पत्र**

1. प्रार्थी का नाम :
2. जन्म तिथि :
3. जाति :
4. व्यवसाय :
5. क्या बी०पी०एल० परिवार से सम्बन्धित है :
6. यदि हां, तो परिवार की बी०पी०एल० संख्या :
सर्वेक्षण वर्ष सहित ।
7. पिता/पति का नाम :
8. परिवार के मुखिया का नाम :
9. वर्तमान रिहायश का पता :
10. स्थाई पता :
11. यदि पिता/पति जीवित नहीं है तो संरक्षक :
का नाम व उससे नाता ।
12. परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा (पति/पत्नी/पुत्रों/पुत्रियों का विवरण दें)

क्र० सं०	नाम	आयु	नाता	व्यवसाय	पंचायत परिवार रजिस्टर की परिवार संख्या व पृष्ठ संख्या	समस्त स्रोतों से वार्षिक आय (राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित)	राशन कार्ड संख्या	मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या	दूरभाष/मोबाईल संख्या, यदि हो

13. प्रार्थी की शिक्षा :
14. क्या प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्य को किसी प्रकार की सहायता पेंशन सरकार से मिलती है ? यदि हाँ, तो उसका नाम, मासिक राशि/स्रोत ।

15. सम्पत्ति की व्याख्या और उसकी कीमत :

(क) परिवार के नाम कुल भूमि :

(ख) बैंक में जमा राशि व डाकघरों का बचत :

खाते में जमा राशि का विवरण ।

(ग) भूमि से वार्षिक आय :

(घ) अन्य साधनों से वार्षिक आय :

(ङ) कुल वार्षिक आय

16. प्रार्थी के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण :

(क) बैंक/डाकघर का नाम जहां खाता है :

(ख) खाता संख्या :

17. प्रार्थी का आधार नम्बर :

18. दो व्यक्तियों के नाम पूरे पते जो प्रार्थी को भली-भांति जानते हों और प्रार्थी की वास्तविकता को बतला सकें

(1) नाम व पूरा पता

(2) नाम व पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

घोषणा

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ग्राम
डाकघर तहसील जिला सत्यानिष्ठा लेकर अपने
ज्ञान से अभ्युष्टि पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूं कि उक्त तथ्य मेरे प्रतिज्ञान से सही हैं । इनमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई बात छिपाई गई है । मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि इससे पूर्व मैं कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूं ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

- नोट.-**
- यदि प्रार्थी विकलांग है तो जिला चिकित्सा बोर्ड से जारी स्थाई प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करें ।
 - यदि प्रार्थी कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो जिला कुष्ठ रोग निवारण अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
 - यदि प्रार्थी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी है तो पंचायत सचिव का प्रमाण-पत्र तथा तीन रुपये की अस्टाम पेपर पर शपथ-पत्र सम्बन्धित दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न करें ।

